



राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/266;

दिनांक: 28 जनवरी 2021

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान।


### ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषय: ज्ञान गंगा कार्यक्रमान्तर्गत आयोजित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में अनुपस्थित रहे संकाय सदस्यों की सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 तक आवश्यक रूप से भेजने बाबत।

उपर्युक्त सन्दर्भ में लेख है कि आपके यहां आरम्भ निर्देशित विषय में ज्ञान गंगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दिनांक 30 जनवरी 2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कुछ आयोजक महाविद्यालयों ने प्रथम चरण की सूचनाएं भी अभी तक नहीं भेजी हैं। इसे गम्भीरता से लिया जावे। ये कार्यक्रम सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता की क्रियान्विति में हैं। अतः इनमें किसी भी प्रकार की उदासीनता/अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।

1. उन सह भागियों के नाम जिन्हें नामित किया गया था परन्तु जिन्होंने निर्देशानुसार प्रथम दिवस तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में कार्यक्रम आरम्भ होने पूर्व तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तथा कार्यक्रम में प्रथम दिन से सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे संकाय सदस्यों के नाम, विषय एवं उनके महाविद्यालय के नाम की सूचना भिजवायें।
2. सहभागियों की कुल की संख्या एवं उनकी सूची (नाम, महाविद्यालय का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित)।
3. कार्यक्रम की सत्रवार रुपरेखा एवं आमंत्रित रिसोर्स पर्सन्स की सूची (नाम, पद, पदस्थपन संस्था एवं विशेषज्ञता सहित)।
4. कार्यक्रम में यदि कोई व्यय हुआ है तो कुल व्यय राशि।

इन कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट ( सत्रवार संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ/स्क्रीन शॉट, सहभागियों द्वारा दिये गये फीडबैक का सार को सम्मिलित करते हुए), संस्था द्वारा इन कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन हेतु सुझाव आदि को सम्मिलित करते हुए भी महाविद्यालय द्वारा कार्यक्रम समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर 02 प्रतियों में (हार्ड कॉपी में) भिजवाना अनिवार्य है।

  
संदेश नायक, IAS

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/266; दिनांक: 28 जनवरी 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
4. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
28/1/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी,  
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ